श्री अब्दुल वहाब अंसारी, उप विकास आयुक्त, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.2017 को आयोजित छठ पर्व 2017 को अवसर पर छठ घाटों पर की गई तैयारी की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा बैठक पंजी।

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया, नगर पंचायत गोगरी एवं अंचलाधिकारियों से छठ पर्व 2017 के अवसर पर छठ घाटों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त उक्त पदाधिकारीयों द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई।

1. नगर परिषद्, खगड़िया :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया ने बताया कि खगड़िया नगर क्षेत्र के 6 घाट हैं। सभी घाटों पर बेरिकोडिंग, साफ–सफाई, अस्थाई कपड़ा Change Room, रोशनी, Public Address System इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 23.10.2017 को भ्रमण के दौरान साफ–सफाई कार्य भी प्रारंभ नहीं किये गये थे। उन्हें निदेशित किया गया कि सभी कार्य 25.10.2017 के दोपहर तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। बेरिकेडिंग पानी के लेबल को देखते हुए करायेंगे।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया)

2. खगड़िया अंचल :– अंचलाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि नगर परिषद् क्षेत्र के 5 घाट पर नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर विकास मित्र, पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी आदि को प्रतिनियुक्त किया गया है। रसौंक एवं संसारपुर घाट संवेदनशील है जहाँ नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की गई है। घाट की साफ–सफाई, बेरिकेडिंग, रोशनी, कपड़ा Change Room इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त नहीं हुआ है। घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी कार्य 25.10.2017 के दोपहर तक कराना सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य विभाग से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त कर छिड़काव करायें।

(अनुपालन– अंचल अधिकारी, खगड़िया)

3. चौथम अंचल :– अंचलाधिकारी, चौथम ने बताया कि 15 घाट है एवं सभी घाट काफी खतरनाक है, क्योंकि बाढ़ के बाद मिट्टी का कटाव हुआ है। 4 घाट– सोनवर्षा, नवादा, धुतौली, लगमा में काफी भीड़ होती है। सभी जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी स्तर से घाट खतरनाक होने की सूचना लोगों के बीच प्रचारित की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि SDRF की 2 मोटरवोट की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी घाटों पर नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति, बैरिकेड्रिंग के साथ Public Address System इत्यादी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – सभी अचंलाधिकारी)

4. मानसी अंचल :– अंचलाधिकारी, मानसी ने बताया कि 12 घाट है जिसमें एकनिया एवं मटिहानी घाट संवेदनशील है। प्रत्येक घाट पर एक–एक गोताखोर एवं चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि घाट पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी, मानसी)

5. अलौली अंचल :– अंचलाधिकारी, अलौली ने बताया कि 22 घाट चिन्हित किया गया है। चातरघाट, गढ़ढाला घाट में काफी भीड़ रहती है। गोताखोर एवं नाव की व्यवस्था सभी घाटों पर की गई है। शिशवाघाट खतरनाक है, जिसे प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि घाटों की साफ–सफाई, नियंत्रण कक्ष, कपड़ा Change Room, बेरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था 25.10.2017 तक कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी, अलौली)

6. नगर पंचायत गोगरी :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने बताया कि कामाथान घाट काफी खतरनाक है जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर बगल में घाट की व्यवस्था

की गई है। मीरगंज घाट भी खतरनाक है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी को निदेश दिया गया कि घाटों में मजबूत बेरिकेडिंग कपड़ा Change Room, नियंत्रण कक्ष बनाने के साथ–साथ साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी)

7. बेलदौर अंचल :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने बताया कि जिला संयुक्तादेश के अतिरिक्त कोशी नदी के अन्य 7 घाटों पर दंडाध्किारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, बेलदौर को निदेश दिया गया कि घाटों पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष, बेलदौर)

8. गोगरी अंचल :– अंचलाधिकारी, गोगरी ने बताया कि 30 घाट है। प्रमुख घाटों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि संवेदनशील घाटों पर बेरिकेडिंग करना, नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति करने, कपड़ा Change Room बनाने, नियंत्रण कक्ष बनाने एवं साफ–सफाई इत्यादि का कार्य 25.10.2017 के दोपहर तक कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी, गोगरी)

9. परबत्ता अंचल :– प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, परबत्ता बैठक में अनुपस्थित थे। थानाध्यक्ष, परबत्ता ने बताया कि 10 घाट है। अगुवानी घाट, नयागांव एवं गोरियामी घाट संवेदनशील है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने बताया कि कज्जलवन घाट काफी खतरनाक है, इसलिए इस घाट को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा तेमथा, रॉका घाट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी के साथ सभी घाटों का निरीक्षण करें एवं आवश्यक व्यवस्था एवं कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, परबत्ता/थानाध्यक्ष, परबत्ता)

बैठक में उपस्थित सभी जोनल दंडाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे आवंटित घाटों का निरीक्षण कर घाटों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जो घाट संवेदनशील है उस घाट पर भी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष सरकारी नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति के साथ–साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष)

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा विधि–व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे निर्धारित स्थान पर ससमय पहुँचकर विधि–व्यवस्था संचालित करेंगे।

(अनुपालन – सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी)

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है तथा इस संबंध में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। साथ ही जिला संयुक्त आदेश का अक्षरशः पालन कराने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। भीड़ में पटाखे नहीं छोड़ने जायें, अश्लील गाने नहीं बजाये जाये तथा खतरनाक घाटों पर किसी भी परिस्थिति में छठ पर्व नहीं मनाया जाय, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी संबंधित अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की होगी। भीड़–भाड़ वाले घाटों पर कंट्रोल रूम, Public Address System, साफ–सफाई, कपड़ा बदलने हेतु Change Room, बेरिकेडिंग इत्यादि का कार्य कराना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् / नगर पंचायत / सभी अंचल अधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / थानाध्यक्ष / सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी)

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी द्वारा थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल निर्धारित समय पर आवंटित स्थल पर पहुँच, इसे सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए वे संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दूरभाष पर बातें कर एवं चेकिंग कर सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – सभी थानाध्यक्ष)

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने एवं डुबने से बचाना, इस पर्व का महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि वे भ्रमणशील रहेंगे एवं रात्रि में भी गश्ती कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – सभी थानाध्यक्ष)

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खगड़िया ने बताया कि जिला संयुक्तादेश, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश एवं राज्य से प्राप्त आदेश–निदेश का अनुपालन करना थानाध्यक्ष, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। डूबने की घटना को रोकना है इसलिए तैराकी पर पूर्ण प्रतिबंध रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – सभी थानाध्यक्ष / अंचल अधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी)

उप विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि छठ पर्व आस्था का पर्व है। इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करना एवं पानी में डूबने से लोगों को बचाना सर्वप्राथमिकता होनी चाहिए। भीड़–भाड़ वाले घाटों पर आतिशबाजी, तैराकी, अश्लील गाने बजाने पर पाबंदी लगाना आवश्यक है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी घाट पर चलन्त रहेंगे। घाट पर बेरिकेडिंग, कपड़ा बदलने हेतु Change Room बनाने, साफ–सफाई, रोशनी की व्यवस्था इत्यादि कार्य 25.10.2017 के दोपहर तक निश्चित रूप से कराना अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् / नगर पंचायत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् ब्रीफिंग बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उप विकास आयुक्त,
खगड़िया

ज्ञापांक : 2409 / गो0, दिनांक : 25/10/17

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / सिविल सर्जन, खगड़िया / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया / नगर पंचायत गोगरी / श्री डी0के0झा, इन्सपेक्टर, SDRF, खगड़िया / सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट / सभी अंचल अधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी थानाध्यक्ष / सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, खगड़िया / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25/10

उप विकास आयुक्त,
खगड़िया